अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. नेमीचन्द वर्मा पुत्र श्री छोटे लाल वर्मा निवासी मकान नम्बर 34, बपुलिया के पास, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. रविन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री नेमीचन्द वर्मा
2. दीपेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री नेमीचन्द वर्मा
   निवासी मकान नम्बर 34, बपुलिया के पास, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जिला जयपुर ।
3. रितु वर्मा पत्नी श्री हितेश कुमार बबेरवाल निवासी रामपुरा डाबडी, तहसील चौमू जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 09.12.2021 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 08/2021 व उनवानी नेमीचन्द वर्मा बनाम रविन्द्र कुमार वर्मा

उपस्थितः–
1. अपीलान्ट्स स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 20.09.2022**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी चौमू के प्रकरण संख्या 08/2021 व उनवानी नेमीचन्द बनाम रविन्द्र कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 09.12.2021 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया गया " अप्रार्थीगण को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के उक्त निवास पर रहने में किसी तरह से परेशान व बाधा उत्पन्न नहीं करे व प्रार्थी के साथ सद्व्यवहार बनाये रखे तथा बेवजह परेशान व लड़ाई झगड़ा नहीं करे। " अधीनस्थ

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के सही एवं वास्तविक तथ्यों का विवेचन नहीं कर केवल मात्र सरसरी तौर पर बिना पत्रावली पर उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उन दलीलों को नजर अन्दाज करते हुये प्रत्यर्थीगण को लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करने हेतु प्रतिबन्धित किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया, जो कतई विधि सम्मत एवं न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत याचिका में स्वयं के वृद्ध होने के कारण अपने बचे खुचे जीवन को चलाने के लिए भरण पोषण राशि की मांग की गई थी एवं प्रत्यर्थी संख्या एक के द्वारा अच्छी आय अर्जित करने के तथ्य अंकित किये गये थे, परन्तु इसके बावजूद अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी की पुष्ट एवं अहम दलीलों पर कोई गौर नहीं कर भरण पोषण राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान नहीं कर गम्भीर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या एक अपनी सम्पत्ति से बेदखल करने की इस्तदुआ की थी। चूंकि अपीलार्थी की मालिकाना हक की सम्पत्ति अपीलार्थी ने अपने खून पसीने की कमाई से अर्जित की थी। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति पर अपीलान्ट के अलावा अन्य किसी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं हो सकता, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी की उक्त रिलीफ को नजर अन्दाज करते हुये केवल मात्र प्रत्यर्थी को अपीलार्थी की रिहायश मे बाधा नहीं डालने का आदेश प्रदान कर गम्भीर कानूनी भूल की है एवं अधिनियम की मूल मन्शा को ही दरकिनार कर जो आलौच्य आदेश पारित किया गया है वह कतई विधि सम्मत नही है। यहां यह उल्लेखनीय कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की प्लिडिंग्स, साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से ना तो परिसीलन किया एवं ना ही उसे अपने निर्णय में अंकित किया । इसके बावजूद प्रमाणिक साक्ष्य के विपरीत जाकर केवल मात्र मैकेनिकल फैशन के बिना भरण पोषण राशि दिलवाये प्रत्यर्थी को प्रतिबन्धित किये जाने का आलौच्य आदेश पारित कर दिया, जो कतई विधि सम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2022 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थीगण को आदेशित किया जावे कि वह 20,000/– रूपये प्रति माह अपीलार्थी को भरण पोषण हेतु देवें । प्रत्यर्थीगण को पाबन्द किया जावे कि अपीलार्थी व उसकी छोटी बहन, छोटा पुत्र एव दादा को बेवजह हैरान व परेशान नहीं करे ना ही मारपीट करें ना ही गाली गलौच करे, ना ही डरावें धमकाये । अपीलार्थी को उक्त मकान का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दे । अपीलार्थी को जोर जबरदस्ती उक्त मकान से बेदखल नहीं करे तथा रेस्पोडेन्ट से अपीलार्थी को मकान का खाली कब्जा दिलवाया जायें ।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने लिखित बहस पेश कि उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी के साथ उसकी विधवा बहन व उसका पुत्र प्रवीण अस्थाई रूप से उक्त परिसर मे निवास करता है। विधवा बहन वर्तमान में एस एम एस अस्पताल में यूडीसी के पद पर कार्यरत है। जहां से लगभग 60,000/– रूपये वेतन व लगभग 25,000/–रूपये पेंशन प्राप्त हो रही है। जयपुर में कई जगह अचल सम्पत्ति है। जहां से मोटी रकम किराये के रूप में प्राप्त होती है तथा उसका पुत्र प्रवीण सिविल इंजीनियर है तथा एच डी एफ सी बैंक मे कार्यरत है। जो लगभग 35000/–प्रति माह कमाता है तथा लग्जरी लाईफ जीता है। हाल ही में उसके द्वारा एक कार संख्या आरजे 14सीजे 3646 खरीद की गई है। जिसकी कीमत लगभग चार लाख रूपये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की विधवा बहन एवं उसका पुत्र किसी भी प्रकार से अपीलार्थी पर आश्रित नहीं है। केवल मात्र मनगढन्त एवं झूठे तथ्य उक्त अपील में अंकित किये है। अपीलार्थी का पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 बेरोजगार नही है। वह प्राईवेट कम्पनी में काम करता है जहां से उसे 45000/–रूपये की आय प्रतिमाह होती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा हाल ही में एक मोटर साईकिल जिसका नम्बर आरजे 14 जेडजे 2458 नगद में खरीद की है जिसकी कीमत लगभग 1,25,000/–रूपये है। अपीलार्थी पेन्शनधारी है तथा पेंशन प्राप्त होती है व ए क्लास ठेकेदार है तथा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

मैसर्स छोटीलाल नेमीचन्द के नाम से फर्म खोल रखी है जो काफी पुरानी है। जिसमें अपीलार्थी व उसके तीनों भाई पार्टनर है। प्रत्यर्थी संख्या 1 पेशे से अधिवक्ता है। पिछले दो–तीन वर्षो से वकालत का कार्य शुरू किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी गम्भीर बिमारियों से ग्रसित है। जिसमें प्रतिमाह लगभग 4000/–रूपयों की दवाईयों का खर्चा आता है। व मुश्किल अपने परिवार का खर्चा चलाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 का पूरा पेट कटा हुआ है 55 टांके आ रखे है। जिसके कारण व अपने नित प्रतिदिन के कार्य भी नहीं कर पाता है। जबकि अपीलार्थी ने इस मकान मे किरायेदार रख रखे है। जिनसे प्रति माह काफी मोटी रकम किराये में प्राप्त होती है । इसलिए आलौच्य आदेश न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। विवादित मकान नम्बर 34, बपुलिया के पास, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर तीन मंजिला बना हुआ है। अपीलार्थी द्वारा उसका मालिक होना बताया जा रहा रहा है जो गलत है। वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त मकान अपीलार्थी के पिताजी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के दादा जी श्री छोटेलाल जी के द्वारा खरीद किया गय है एवं उस पर वर्ष 1965 में ही निर्माण कार्य करवा लिया गया था जो वर्तमान में जीवित है। उक्त मकान की तीसरी मंजील पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के चाचा व चाची निवास करते है एवं उक्त मकान में ही प्रत्यर्थी संख्या 1 निवास करता है। इस कारण से भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दो अनुतोष चाहे थे। प्रथम अपीलार्थी को रिहायशी मकान से प्रत्यर्थी द्वारा बल पूर्वक नहीं निकाला जावे। इसके लिए अपीलाधीन आदेश से अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थी अपीलार्थी को उक्त निवास पर रहने में किसी प्रकार से परेशान व बाधा उत्पन्न नहीं करने, प्रार्थी के साथ सद्व्यवहार करने, बे वजह परेशान व लड़ाई झगड़ा नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है जो उचित है। द्वितीय, अपीलार्थी ने 20,000/–रूपया प्रति माह भरण पोषण, ईलाज व दवाईयों आदि के दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 (2) में अधिकतम राशि 10,000/–रूपये बतौर भरण पोषण राशि दिये जाने का प्रावधान है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की आय को मध्यनजर रखते हुये 3000–3000 रूपये बतौर भरण पोषण राशि दिलाया जाना उचित है। फलस्वरूप अधीनस्थ अधिकरण का आदेश भरण पोषण की हद तक संशोधित किये जाने हेतु अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

8. प्रयर्त्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक माह की 10 तारीख तक 3000–3000 रूपये अपीलार्थी के द्वारा बैंक ,खाता नम्बर बताने पर अपीलार्थी के खाते में जमा करा कर भरण पोषण राशि का भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को उक्त मकान में रहने में किसी प्रकार से परेशान व बाधा उत्पन्न नही करने, लडाई झगडा नहीं करने एवं सद्व्यवहार करने के लिए प्रत्यर्थीगण को पाबन्द कर र खा है, जिसे यथावत रखा जाता है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर